राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1696/2025

मुजीबुर्रहमान

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक	: 03.03.2025
उपस्थिति :–	
अपीलार्थी की ओर से	: श्री प्रवीण शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत नमाना जिला बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण ग्राम पंचायत, माटून्दा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी पूर्व में ग्राम पंचायत, माटून्दा में कार्यरत रह चुका है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह दिशा–निर्देश जारी किये हैं कि जब एक बार कोई कार्मिक किसी ग्राम पंचायत में काम कर चुका हैं तो उसे वापस उसी स्थान पर पदस्थापित नहीं किया जाए। अपीलार्थी को पुनः ग्राम पंचायत, माटून्दा में पदस्थापित किया गया है, जो दिशा–निर्देशों के विपरीत है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी पूर्व में ग्राम पंचायत, माटून्दा में कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी को स्थायी रूप से ग्राम पंचायत, माटून्दा में पदस्थापित किया गया है, जिसमें हम दिशा–निर्देशों

की अवहेलना होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य आदेश में हम विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)